

समेकित बाल विकास सेवा योजना के अन्तर्गत वृद्धि निगरानी के प्रति आंगवाडीकार्यकर्त्री की जानकारी

आँचल शर्मा*, डॉ० कल्पना शर्मा**

*असिंह प्रोफेट, **रीडर एवं विभागाध्यक्षा, गृहविज्ञान विभाग, गिन्नी देवी मोदी कन्या स्नातकोत्तर,
महाविद्यालय मोदीनगर, गांधीबाद।

सारांश

जीवन के प्रथम पाँच वर्ष शिशु की उत्तर जीविका के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। इनमें से भी प्रथम तीन वर्षों के दौरान प्राप्त हुआ शारीरिक व मानसिक विकास आगे के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। अतः यह आवश्यक है कि बच्चों का इस दौरान पूर्ण शारीरिक व मानसिक विकास सुनिश्चित किया जायें। बच्चों की वजन वृद्धि उनके शारीरिक विकास का एक महत्वपूर्ण सूचक है, अतः उसके शारीरिक विकास की निगरानी के लिए आवश्यक है कि उनकी वजन वृद्धि की निगरानी रखी जायें। वृद्धि निगरानी में समेकित बाल विकास सेवा योजना का विशेष योगदान है। समेकित बाल विकास सेवा योजना आंगनवाड़ी केन्द्रों के एक विशाल नेटवर्कों के द्वारा अपनी सेवायें प्रदान करती हैं। आंगनवाड़ी केन्द्र आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के द्वारा चलाया जाता है। यह केन्द्र आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के माध्यम से पूरक पोषाहार, टीकाकरण, स्वास्थ्य जाँच, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, स्कूल पूर्व शिक्षा तथा संदर्भ सेवायें एकीकृत रूप में प्रदान करता है। स्वास्थ्य जाँच के अन्तर्गत वृद्धि निगरानी करना आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री का एक महत्वपूर्ण कार्य है। जिसके लिये उसे पर्याप्त प्रशिक्षित किया जाता है। प्रस्तुत शोध अध्ययन वृद्धि निगरानी के प्रति आंगनवाड़ीकार्यकर्त्री की जानकारी का आंकलन करने के लिए किया गया है। प्रस्तुत शोध अध्ययन के लिए स्तरीकृत यादृच्छिक प्रतिदर्श प्रतिचयन विधि का प्रयोग कर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के शहरी क्षेत्र की 50 आंगनवाड़ीकार्यकर्त्री का चयन किया गया है। चयनित प्रतिदर्शों पर स्विर्मित साक्षात्कार अनुसूची का प्रशासन किया गया है। प्रस्तुत शोध अध्ययन के निष्कर्षों से यह ज्ञात होता है कि वृद्धि निगरानी के प्रति आंगनवाड़ीकार्यकर्त्री को पर्याप्त जानकारी है।

महत्वपूर्ण शब्द बाल विकास सेवा योजना, वर्षद्विंशि निगरानी ,
आंगनवाड़ीकार्यकर्त्री

शोध पत्र का संक्षिप्त
विवरण निम्न प्रकार है:


आँचल शर्मा, डॉ०
कल्पना शर्मा.,
“समेकित बाल विकास सेवा योजना के अन्तर्गत वृद्धि निगरानी के प्रति आंगनवाड़ीकार्यकर्त्री की जानकारी”,
शोध मंथन जून 2017,
पेज सं 57–63
[http://anubooks.com/
?page_id=2030](http://anubooks.com/?page_id=2030)
Artcile No.10(SM417)

समेकित बाल विकास सेवा योजना के अन्तर्गत वृद्धि निगरानी के प्रति आंगनवाड़ीकार्यकर्त्री की जानकारी
आँचल शर्मा, डॉ कल्पना शर्मा

परिचय

किसी राष्ट्र की जनसंख्या का स्वास्थ्य एवं पोषणीय स्थिति उस देश के विकास का सूचक होती है। यूं तो भारत विश्व की तेज गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाले देशों में गिना जा रहा है, किन्तु दूसरी ओर यह विश्व में सबसे ज्यादा कुपोषण से ग्रस्त देश भी हैं। देश की 15 फीसदी कुपोषित जनसंख्या के साथ भारत ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2016 की 118 देशों की सूची में 97 वें पायदान पर खड़ा है। हाल के डाटा के अनुसार, भारत की 15 फीसदी जनसंख्या को उचित मात्रा और उचित गुणवत्ता वाला भोजन नहीं मिल रहा है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत अभी भी भुखमरी की गम्भीर स्थिति में बना हुआ है।

अपर्याप्त भोजन करने ओर कुपोषण मे गहन सम्बंध है—



प्रस्तुत चित्र अपर्याप्त भोजन के दुष्परिणामों का स्पष्ट सहसम्बंध दर्शाता है जिसकी जड़ें भारत में अपनी जगह बनाये हुए हैं। अतः समेकित बाल विकास सेवा (आई०सी०डी०एस०) योजना का प्रारम्भ 2 अक्टूबर, 1975 को पूरे भारत वर्ष में बच्चों के सवांगीण विकास एवं उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु किया गया। प्रदेश के 33 विकास खण्डों में गर्भवती/धात्री माताओं एवं बच्चों आदि को कुपोषण से बचाने के लिये, उनके समन्वित विकास के लिये भारत सरकार के सहयोग से यह परियोजना प्रारम्भ की गयी। यह कार्यक्रम बच्चों के पोषण से सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं के लिए एक नोडल कार्यक्रम है। यह मुख्यतः स्वास्थ्य एवं पोषण सम्बन्धी विभिन्न घटकों-वृद्धि निगरानी, अनुपूरक पोशाहार, षालापूर्व षिक्षा, पोषण जांच एवं सन्दर्भ सेवाओं पर केन्द्रित है।

समेकित बाल विकास सेवा योजना को सफल संचालन के लिए यह आवश्यक है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री को योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली सेवाओं का पूर्ण ज्ञान हो ताकि सेवाओं को भली भाँति लाभाधियों तक पहुंचाया जा सके और भारत को कुपोषण से बचाया जा सके। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री को अन्य सेवाओं के साथ-साथ वर्षद्विं निगरानी का ज्ञान होना अति आवश्यक है।

समस्या कथन—

समेकित बाल विकास सेवा योजना के अन्तर्गत वषद्वि निगरानी के प्रति आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री की जानकारी।

शोध का परिसीमन—

प्रस्तुत शोध अध्ययन उत्तर प्रदेश राज्य के जिला गाजियाबाद के शहरी क्षेत्र के आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री तक सीमित हैं।

शोध विधि —

प्रस्तुत शोध कार्य हेतु सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है।

प्रतिदर्श —

प्रतिदर्श के रूप में जिला गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के शहरी क्षेत्र की 50 आंगनवाड़ीकार्यकर्त्रियों का चयन किया गया है।

प्रतिचयन विधि—

प्रतिदर्श के चयन के लिये स्तरीकृत यादष्टचिक प्रतिचयन प्रविधि का प्रयोग किया गया है।

उपकरण—

शोध उपकरण हेतु स्वनिर्मित साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया गया है।

आंकड़ों का प्रस्तुतीकरण एवं व्याख्या—

पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु स्वनिर्मित साक्षात्कार अनुसूची को चयनित 50 आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री पर प्रशासित किया तथा प्राप्त परिणामों के अध्ययन के लिए प्रतिशत एवं मध्यमान सांख्यिकीय प्रविधि का प्रयोग किया गया है।

परिणाम एवं व्याख्या —

समेकित बाल विकास सेवा योजना के अन्तर्गत वषद्वि निगरानी के प्रति आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री की जानकारी का आंकलन निम्नलिखित पाँच आधारों पर किया गया है—

- 1 वजन लेने के सही तरीके की जानकारी
- 2 वषद्वि निगरानी चार्ट को सही भरने की जानकारी
- 3 निष्कर्षों की सही व्याख्या की जानकारी
- 4 माँ / परिवार के सदस्यों को उचित परामर्श देने की जानकारी
- 5 वृद्धि निगरानी के प्रति स्वयं की भूमिका की जानकारी

वजन लेने के सही तरीके की जानकारी

क्र० सं०	संकेतक	सही उत्तर की संख्या	सही उत्तर का प्रतिशत
	वजन लेने से पूर्व मशीन की सुई शून्य पर होती है।	50	100
2	मशीन की ऊंचाई आँखों की सीधे में रखी जाती है।	38	76
3	वजन लेते समय बच्चा किसी भी चीज का सहारा न ले।	50	100
4	जब बच्चा शात हो और सुई हिलना बन्द कर दे तब वजन को पढ़ा जाता है।	50	100

समेकित बाल विकास सेवा योजना के अन्तर्गत वृद्धि निगरानी के प्रति आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री की जानकारी
आँचल शर्मा, डॉ कल्पना शर्मा

मध्यमान प्राप्तांक= 376 / 4 = 94

उपर्युक्त तालिका के आँकड़े यह दर्शाते हैं कि आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री बालकों का सही वजन लेने की 94 प्रतिशत जानकारी रखती हैं।

वृद्धि निगरानी चार्ट को सही भरने की जानकारी

क्र0 सं0	संकेतक	सही उत्तर की संख्या	सही उत्तर का प्रतिशत
1	सबप्रथम रजिस्टर में बच्चे से सम्बंधित प्रविष्टियों को भरा जाता है।	50	100
2	जन्म के समय से ही बच्चे का वजन लिया जाता है।	50	100
3	तीन साल तक प्रति माह बच्चे का वजन लिया जाता है।	50	100
4	लड़के व लड़की के लिए अलग अलग रंग के चार्ट का प्रयोग किया जाता है।	50	100
5	लड़की के लिए गुलाबी रंग के चार्ट का प्रयोग किया जाता है।	50	100
6	वर्ष और माह को ध्यान में रखते हुए वजन अंकित किया जाता है।	50	100
7	दो माह में आँकेत वजन के बिंदुओं को बक रेखा द्वारा जोड़ा जाता है।	50	100
8	छूटे हुए वजन के माह को बिंदु रेखा द्वारा मिलाया जाता है।	41	82

मध्यमान प्राप्तांक= 376 / 4 = 94

उपर्युक्त तालिका के आँकड़े यह दर्शाते हैं कि आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री बालकों का सही वजन लेने की 94 प्रतिशत जानकारी रखती हैं।

वृद्धि निगरानी चार्ट को सही भरने की जानकारी

क्र0 सं0	संकेतक	सही उत्तर की संख्या	सही उत्तर का प्रतिशत
1	वजन रेखा की स्थिति बच्चे की वृद्धि की दशा को बताती है।	50	100
2	वजन रेखा का ऊपर की तरफ होना अर्थात् बच्चे के वजन में वृद्धि हो रही होना है।	50	100
3	वजन रेखा का नीचे की तरफ होना अर्थात् बच्चे के वजन में कमी हो रही होना है।	50	100
4	वजन रेखा का सीधा होना अर्थात् बच्चे का वजन पहले जैसा होना है।	50	100
5	वृद्धि रेखा के तीन रंग स्वास्थ्य की तीन स्थितियों को दर्शाते हैं हरा रंग – स्वस्थ पीला रंग – कुपोषण नारंगी रंग – अत्याधिक कुपोषण	50	100
6	वृद्धि चार्ट भावी स्थिति के प्रति संचेत करता है।	38	76
7	वृद्धि चार्ट कुपोषण के स्तर को पहचानकर बच्चे को उचित पोषण देने व स्वास्थ लाभ पहचाने में सहायता करता है।	50	100
8	वजन रेखा खतरे की स्थिति में आने पर बच्चे को स्वास्थ केन्द्र के लिए रेफर किया जाता है।	35	70

मध्यमान प्राप्तांक=746 / 8= 93.25

उपर्युक्त तालिका के आँकड़े यह दर्शाते हैं कि आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री निष्कर्षों की सही व्याख्या की 93.25 प्रतिशत सही जानकारी रखती हैं।

माँ / परिवार के सदस्यों को उचित परामर्श देने की जानकारी

मध्यमान प्राप्तांक=422 / 5=84.4

उपर्युक्त तालिका के आँकड़े यह दर्शाते हैं कि आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री को माँ/परिवार के सदस्यों को उचित परामर्श देने की जानकारी 84.4 प्रतिशत है।

क्रमांक	वृद्धि के नियमों के प्रति		स्वयं उकी को सख्ता	भूमिका उत्तर का	की जानकारी		
	क्र0	संकेतक			प्रतिशत	सही उत्तर की संख्या	सही उत्तर का प्रतिशत
1	बच्चे की माँ/परिवार के सदस्यों को वृद्धि चार्ट समझाया जाता है तथा बच्चा की जाती है।	50	100				
2	यदि वजन वृद्धि जारी रखने का लिए अपने बच्चे की सदस्यों को अच्छा पोषण करते हैं तो वे भूलकर भूलकर दूषित होते हैं। इसके लिए बच्चे की जाती है। और तारीफ की जाती है।	50	100	0	3	100	
3	बच्चे का वजन अपने बच्चे के वजन है तो माँ/परिवार सदस्यों की सहायता से उपयोग करते हैं। ऐसे बच्चों के लिए मूल वजन के लिए छोटा गया हो उनका विवाद ध्यान रखना।	45	89			50	100
4	कृपापूर्ण बच्चे को रखना लोगों को आमतौर पर बच्चे को खाली करना चाहते हैं। जबकि बच्चे को खाली करना लोगों को आमतौर पर बच्चे को खाली करना।	35	89			50	100
5	माँ/परिवार के सदस्यों को वृद्धि से उत्तरों पोषण व देखभाल की परिधि देना।	35	89			50	100
6	कृपोषण की स्थिति में माँ/परिवार के सदस्यों को उचित पोषण की शिक्षा देना।					50	100
7	कृपोषण की स्थिति में बच्चे को दोगुना पोषण प्रदान करना।					50	100
8	कृपोषण की स्थिति वाले बालकों की जानकारी पर्यवेक्षक, ए.एन.एम. तथा ए.एल.एच. वी. को अवश्य देना।					50	100
9	पर्यवेक्षक, ए.एन.एम. तथा ए.एल.एच.वी. को उपयुक्त देखभाल तथा आहार के महत्व का ज्ञान कराने हेतु परिवार भ्रमण पर ले जाना।					50	100

$$\text{मध्यमान प्राप्तांक} = 900 / 9 = 100$$

उपर्युक्त तालिका के आँकड़े यह दर्शाते हैं कि आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ता वृद्धि निगरानी के प्रति स्वयं की भूमिका की 100 प्रतिशत जानकारी रखती हैं।

समेकित बाल विकास सेवा योजना के अन्तर्गत वृद्धि निगरानी के प्रति आंगनवाड़ीकार्यकर्त्री की जानकारी
आँचल शर्मा, डॉ कल्पना शर्मा

निष्कर्ष—

किसी भी देश के बच्चे उस देश की अमुल्य धरोहर हैं। अतः उनके विकास पर किया गया खर्च भविष्य के प्रति निवेश के रूप में कार्य करता है। भारत के वर्ष 2017 के बजट का 3.32% (71305.35 करोड़ रु0) हिस्सा बच्चों के लिए खर्च किया जाना है। जिसमें से सम्पूर्ण विकास के लिए चलायी जा रही समेकित बाल विकास सेवा योजना पर 15245.19 करोड़ रु0 वर्ष 2017 में खर्च करने का प्रावधान है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से पहले यह योजना समाज के अधिक गरीब परिवारों तक लक्षित थी। योजना का केन्द्र ग्रामीण था जबकि शहरी क्षेत्रों के लिए बहुत कम केन्द्र निर्धारित थे। परन्तु सुप्रीम कोर्ट ने योजना की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए यह स्पष्ट कर दिया कि यह योजना सबके द्वारा तक पहुंचेगी। सबके अर्थात् सबके। सुप्रीम कोर्ट के आदेश सभी बच्चों को समिलित करते हैं चाहे वे दलित हो दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले हो आदिवासी हो या कच्ची बसती में रहने वाले बच्चे हो। 30.12.2014 के आंकड़ों के अनुसार भारत में 13.42 लाख आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित हैं जिसमें से उत्तर प्रदेश में 187997 आंगनवाड़ी केन्द्र हैं। प्रत्येक आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री समेकित बाल विकास सेवा योजना की सेवाओं को लाभार्थियों तक पहुंचाने का कार्य करती है। जिसके लिये उसको प्रशिक्षित किया जाता है। अतः आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री से यह अपेक्षित है कि उसे योजना का पूर्ण ज्ञान हो।

प्रस्तुत शोध अध्ययन समेकित बाल विकास सेवा योजना के अन्तर्गत वृद्धि निगरानी के प्रति आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री की जानकारी का आंकलन करने के लिए किया गया है। अध्ययन के परिणामों से प्राप्त आंकड़ों से यह ज्ञात होता है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री बालकों का सही वजन लेने की 94 प्रतिशत जानकारी रखती हैं। वृद्धि निगरानी चार्ट को सही भरने की 97.75 प्रतिशत सही जानकारी रखती हैं साथ ही निष्कर्षों की सही व्याख्या करने की 93.25 प्रतिशत सही जानकारी रखती हैं इसके अलावा लाभार्थी बच्चों की माँ/परिवार के सदस्यों को उचित परामर्श देने की जानकारी 84.4 प्रतिशत है। साथ ही अध्ययन के परिणामों से ज्ञात होता है कि आंगनवाड़ीकार्यकर्त्री को वृद्धि निगरानी के प्रति स्वयं की भूमिका की 100 प्रतिशत जानकारी रखती हैं।

अतः प्रस्तुत शोध अध्ययन से प्राप्त परिणामों से यह ज्ञात होता है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री को वृद्धि निगरानी के विषय में पर्याप्त जानकारी हैं जो कि उनके गुणवत्तापूर्ण कार्य प्रशिक्षण का परिणाम हैं। साथ ही वृद्धि निगरानी के जिन बिन्दुओं पर जानकारी की कमी है वह उनकी निरंतर शिक्षा एवं पर्यवेक्षण की कमी का परिणाम हैं अतः प्रस्तुत शोध निरंतर शिक्षा एवं पर्यवेक्षण की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

- आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री हेतु कार्य प्रशिक्षण मॉड्यूल एवं संदर्भ पुस्तिका 2, निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार।
- *Global Hunger Index*

http://en.m.wikipedia.org/wiki/Global_Hunger_index

- Govt. of India, Integrated Child Development Services Dept. of Women and Child Development, New Delhi: (2013) 'ICDS MISSION-The Broad Framework for Implementation',

www.gov.ofindiacin

- Harpalani B.D.: (2006) 'Welfare Programme for Rural Women and Children' Extension Education in Home Science, Sixth Edition, Vinod Pustak Mandir, Star Publication Agra, p. 377.

- Press Information Bureau, Government of India. Ministry of Women and Child Development.

www.Pib.nic.in

- State Nutrition Mission

www.snmup.in

- Union Budget 2017-18, Deceitful Statement on 'Women and Child Development'

<http://aifawh.org>